

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

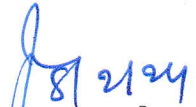
धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष — बंधना चीक बड़ाईक,

बनाम

वाद सं० 67/2023

द्वितीय पक्ष — याकुब तिकी बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 11/2023 दिनांक 12/07/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) बंधना चीक बड़ाईक उम्र 42 वर्ष पिता स्व० मंगरनाथ चीक बड़ाईक ग्राम तेतरा, थाना बसिया, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) याकुब तिकी उम्र 32 वर्ष पिता स्व० जोसेफ तिकी, ग्राम तेतरा, थाना बसिया जिला गुमला के बीच जमीन को लेकर विवाद लाया गया है। फलस्वरूप द्वितीय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। उभय पक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें। उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त है उभय पक्ष अनुपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त, वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	